

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1709/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-294-उ 0 प्र 0 अधि0-1-
2017-आदेश-(355)-2025

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 44 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, वार्षिक विवरणी दाखिल करने के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने से एतद्वारा छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
Digitally signed by
M DEVARAJ (आज्ञा से)
Date: 20.09.2025
17:21:11